बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25/2021–पार्ट–I– 329

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, भागलपुर।

पटना, दिनांक : 11/02/26

विषय : सिंचाई प्रमंडल, झाझा अंतर्गत बरनार जलाशय योजना के निर्माण कार्य के कार्यान्वयन निमित कार्यस्थल के निकट अस्थायी साईट कार्यालय, कैम्प, लैब, इत्यादि के निर्माण के लिए सोनो प्रखंड के मौजा गन्दर अंतर्गत ग्राम कटहराटाँड़ में विभागीय भूमि संवेदक M/s NCC Ltd. को लीज/किराये पर देने हेतु विभागीय अनुमति के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 3688 दिनांक 15.12.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्त्तों के साथ सिंचाई प्रमंडल, झाझा अंतर्गत बरनार जलाशय योजना के निर्माण कार्य के कार्यान्वयन निमित कार्यस्थल के निकट अस्थायी साईट कार्यालय, कैम्प, लैब, इत्यादि के निर्माण के लिए सोनो प्रखंड के मौजा गन्दर अंतर्गत ग्राम कटहराटाँड़ में विभागीय भूमि संवेदक M/s NCC Ltd. को लीज/किराये पर देने हेतु विभागीय अनुमति संसूचित की जाती है :–

(i) प्रस्तावित स्थल पर जल संसाधन विभाग का स्वामित्व बना रहेगा। प्रस्तावित भूमि लीज/किराये पर लिये जाने हेतु योजना पूर्ण होने की अवधि तक कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, झाझा के साथ एकरारनामा करना होगा।

(ii) लीज अवधि में प्रतिवर्ष 2,16,000/– (दो लाख सोलह हजार रुपये) की दर से किराया देय होगा।

(iii) प्रस्तावित कार्य स्थल का उपयोग उल्लेखित कार्य के लिए ही मात्र किया जायेगा।

(iv) प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराना होगा।

(v) लीज के दौरान विभागीय भूमि पर अवस्थित किसी संरचना में किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़/क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा।

(vi) प्रस्तावित भूमि पर अस्थायी साईट कार्यालय, कैम्प, लैब, इत्यादि के निर्माण संबंधी Layout Plan कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, झाझा को समर्पित करना होगा एवं उनकी सहमति के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जायेगा।

(vii) विभागीय भूमि से मिट्टी नहीं काटी जाय।

(viii) लीज के दौरान संभावित दुर्घटना से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी संवेदक M/s NCC Ltd. , Hyderabad की होगी। कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित होने की परिस्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संवेदक की होगी।

(ix) विभागीय भूमि का लीज/किराया की अवधि समाप्त होने के उपरांत विभागीय भूमि पर से अवशिष्ट पदार्थ (Waste material) को हटाने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।

(x) विभागीय भूमि का लीज अवधि में जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यहित में दिया गया निदेश मान्य होगा।

(xi) लीज अवधि के दौरान जल संसाधन विभाग की किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के निदेशानुसार संवेदक अपने खर्च पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

(xii) लीज अवधि के दौरान वैसे अनदेखे कार्य (Unseen Work), जो जल संसाधन विभाग के कार्यहित में हो, उसे संवेदक को कराना होगा।

(xiii) भविष्य में प्रस्तावित स्थल का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग होने पर लीज को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

(xiv) किसी भी तरह के उत्पन्न विवाद का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय, पटना के क्षेत्राधिकार में होगा।

(xv) उक्त शर्तो का उल्लंघन की स्थिति में एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा।

2. प्राप्त होने वाली राजस्व की राशि मुख्य शीर्ष–0700–मुख्य सिंचाई, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–501–सेवाएँ तथा सेवा शुल्क उपशीर्ष–0005 विषय शीर्ष–0027 पट्टा किराया/सलामी, विपत्र कोड– R0700805010005 में जमा किया जायेगा।

विश्वासभाजन

11/02/26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25/2021–पार्ट–I– 329 पटना, दिनांक : 11/02/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई०टी० जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।

11/02/26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय